②

उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

(विधि शाखा)

विविध अपील (Miscellaneous Appeal)वाद सं0 :–126 / **2023–24**

नोवेल तिग्गा
बनाम
चुन्दा लोहरा वगै0

03.02.24 अपीलार्थी नोवेल तिग्गा पिता–स्व0 जोन तिग्गा ग्राम–पुगु थाना–गुमला जिला–गुमला के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के विविध वाद सं0–18/2013–14 में दिनांक–21.09.2023 को पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय रिवीजन दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी के Miscellaneous Appeal पर सुनवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को नोटिस निर्गत किया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि प्रश्नगत भूमि मौजा– पुगु के खाता सं0–73 प्लॉट क्रमशः–67, 69, 312, 436, 437 एवं 839 रकबा क्रमशः–0.54 एकड़, 0.12 एकड़, 1.58 एकड़, 0.78 एकड़, 0.54 एकड़, 0.88 एकड़ कुल रकबा–4.44 एकड़ भूमि से संबंधित है। निम्न अपीलीय न्यायालय के द्वारा एक ही तिथि में दिनांक–03.03.2023 से 25.08.2023 तक का आदेश फलक पर इन्द्राज कर उभय पक्ष कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित रहने के वावजूद उत्तरवादीगण के पक्ष में आदेश पारित किया गया है, जो न्याया संगत नही हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं निम्न अपीलीय न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्ष दिनांक–03.03.2023 से 25.08.2023 तक लगातार अनुपस्थित रहने के वावजूद निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा किसी एक पक्ष के हित में बिना सुनवाई किये आदेश पारित किया गया है, जो न्याय संगत प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए निर्देश दिया जाता है कि उभय पक्षों को पुनः नोटिस निर्गत कर सुनवाई का प्रर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए तर्कसंगत आदेश पारित करने हेतु वाद Remand किया जाता है।

आदेश की प्रति निम्न अपीलीय न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

Digitally signed by KARN SATYARTHI
Date: 2024.08.06 16:49:45 +05:30
Location: 192.168.29.195

उपायुक्त,
गुमला

उपायुक्त,
गुमला

Scanned with OKEN Scanner